

राजस्थान उच्च न्यायालय**जोधपुर**

एस.बी. सिविल विविध अपील सं. 2088/2018

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, प्रबंधक, शाखा कार्यालय, आलोक सिनेमा के पास, चूरू जरिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, सन टावर, तीसरी और चौथी मंजिल, पाल रोड, जोधपुर। (ट्रैक्टर संख्या Rj10-Ra-3386 का बीमाकर्ता)

----अपीलार्थी

बनाम

1. मनी राम उर्फ मुन्नी लाल पुत्र स्व. माला राम, आयु लगभग 71 वर्ष, जाति-भार्गव निवासी डाकौतों का बास, बीदासर, पुलिस थाना - छापर, तहसील - सुजानगढ़ ।
2. श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नी मनीराम उर्फ मुन्नी लाल, आयु लगभग 65 वर्ष, जाति- भार्गव निवासी डाकौतों का बास, बीदासर, पुलिस थाना - छापर, तहसील -सुजानगढ़ ।
3. सुखा राम पुत्र गोरधन राम, आयु लगभग 47 वर्ष, जाति - जाट , निवासी मगरा बास, लाडनूं , पुलिस थाना लाडनूं, जिला - नागौर । (ट्रैक्टर संख्या Rj-10- Ra-3386 का चालक)
4. श्रीमती परमा देवी पत्नी चंद्रा राम, जाति - जाट , निवासी डुंकर, तहसील - सुजानगढ़, जिला - नागौर। (ट्रैक्टर नंबर Rj-10-Ra-3386 की स्वामिनी)
5. श्रीमती ज्योति पत्नी स्व. पुखराज , आयु लगभग 24 वर्ष, पुत्री बजरंग लाल, जाति- भार्गव, निवास तहसील कार्यालय के पास, दाता रामगढ़, जिला सीकर।

----प्रत्यर्थीगण

से सम्बद्ध

एस.बी. सिविल विविध अपील सं. 2134/2018

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, आलोक सिनेमा के पास, चूरू, जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, सन टावर, तीसरी और चौथी मंजिल, पाल रोड, जोधपुर। (ट्रैक्टर संख्या Rj-10-Ra3386 का बीमाकर्ता)

----अपीलार्थी

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र श्री सोहन लाल, आयु लगभग 51 वर्ष, जाति भार्गव, निवासी खुड़ी , तहसील- सुजानगढ़ , जिला चूरू।
2. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री भंवर लाल, आयु लगभग 49 वर्ष, जाति भार्गव , निवासी खुड़ी तहसील- सुजानगढ़ , जिला चूरू।
3. सुखा राम पुत्र गोरधन राम, जाति जाट, निवासी मगरा बास, लाडनूं , पुलिस थाना लाडनूं, जिला नागौर। (ट्रैक्टर नंबर आरजे-10-आरए-3386 का चालक)
4. श्रीमती परमा देवी पत्नी चंद्रा राम, जाति जाट, निवासी डुंकर , तहसील - सुजानगढ़ जिला नागौर। (ट्रैक्टर नंबर Rj-10-Ra-3386 की स्वामिनी)

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी(यों) के लिए : श्री संतोष चौधरी
 प्रत्यर्थी(गण) के लिए :

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/05/2025

1. बीमा कंपनी ने विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सुजानगढ़, जिला चूरू द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय और पंचाट दिनांक 10.04.2018 को अभिखंडित करने की मांग करते हुए उपर्युक्त शीर्षक वाली दो अपीलें प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा, दावा याचिका संख्या 33/2013 और दावा याचिका संख्या 34/2013 में, क्रमशः रुपये 8,70,000/- और रुपये 9,20,000/- का प्रतिकर उसमें उल्लिखित दावेदारों को अधिनिर्णित किया गया था। इस सामान्य आदेश और निर्णय के माध्यम से, दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। 06.04.2013 को मृतक पुखराज और विक्रम, मोटरसाइकिल संख्या RJ-44-SA-0306 पर सवार होकर सुजानगढ़ से सालासर जा रहे थे। मोटरसाइकिल मृतक पुखराज चला रहा था। रात करीब 10:00 बजे, जब वे भीवसर के पास पहुँचे, तो सुजानगढ़-सालासर रोड पर स्थित प्याऊ पर, एक ट्रैक्टर पंजीकरण संख्या RJ-10-RA-3386 विपरीत दिशा से (सालासर की ओर से) आ रहा था। ट्रैक्टर को प्रत्यर्थी सं. 1 सुखाराम द्वारा अभिकथित रूप से बहुत तेज गति से उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था। ट्रैक्टर अचानक गलत दिशा में आ गया और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। परिणामस्वरूप, पुखराज की मौके पर ही मृत्यु हो गई और विक्रम की बाद में कल्याण अस्पताल, सीकर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

2.1 दुर्घटना के समय, मृतक पुखराज और विक्रम क्रमशः 21 और 23 वर्ष के थे। दोनों मेसर्स ममता मोटर्स, बीदासर में मैकेनिक के रूप में कार्यरत थे और दावेदारों के अनुसार, प्रत्येक की मासिक आय 15,000 रुपये थी। उनके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा पुखराज के लिए 88,95,000/- रुपये और विक्रम के लिए 85,35,000/- रुपये की प्रतिकर राशि की मांग की गई थी।

3. ट्रैक्टर प्रत्यर्थी सं. 2 - श्रीमती परमादेवी के नाम पर पंजीकृत था/है तथा प्रत्यर्थी सं. 3 - बीमा कंपनी के पास बीमित था।

4. विद्वान अधिकरण ने पांच विवाद्यक विरचित किए, जिनका हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है:-

“(i) क्या दुर्घटना दिनांक 06.04.2013 को लगभग 10:30 बजे सुजानगढ़ कस्बे में सुजानगढ़-सालासर मार्ग पर भिवेसर प्याऊ के पास प्रथम प्रत्यर्थी सुखाराम (चालक) द्वारा ट्रैक्टर संख्या आर.जे.-10 आर.ए-3386 को तेज गति, उपेक्षापूर्वक और लापरवाहीपूर्वक चलाकर मृतक चैनाराम की मोटरसाइकिल से टकराने के कारण उक्त मोटरसाइकिल पर सवार विक्रम व पुखराज की मृत्यु हो गई?

(भार-प्रार्थी/दावेदार)

(ii) क्या उक्त वाहन दुर्घटना के समय प्रथम प्रत्यर्थी (चालक) द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी (स्वामी) के रोजगार, नियंत्रण और निर्देशन में उनके लाभ और हित के लिए चलाया जा रहा था?

(भार-प्रार्थी/दावेदार)

(iii) क्या अप्रार्थीगण द्वारा अपने उत्तर में उठाई गई आपत्तियां स्वीकार्य हैं? यदि हां, तो क्या अप्रार्थीगण प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं?

(भार-प्रत्यर्थी/गैर-दावेदार)

(iv) क्या प्रार्थी-दावेदार - भंवरलाल व अन्य, अप्रार्थीगण से संयुक्त रूप से व पृथक् रूप से 88,95,000/- रुपए तथा प्रार्थी - मनीराम व अन्य, 85,35,000/- रुपए ब्याज सहित प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं, और यदि हां, तो किससे और किस सीमा तक?

(भार-प्रार्थी/दावेदार)

(V) अनुतोष।”

5. पक्षों द्वारा प्रस्तुत संबंधित साक्ष्यों के आधार पर विद्वान अधिकरण ने दावेदार के पक्ष में सभी विवादकों को निस्तारित किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटना में शामिल वाहन एक ट्रैक्टर था, जिस पर एक ट्रॉली लगी हुई थी और जिसका उपयोग सार्वजनिक सड़क पर किया जा रहा था। इस प्रकार का उपयोग इसे मालवाहक वाणिज्यिक वाहन के रूप में योग्य बनाता है। इसलिए, चालक के पास "परिवहन वाहन" श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उनका तर्क है कि विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी बीमाकर्ता को विवादक सं. 4 के अधीन उत्तरदायी ठहराकर त्रुटि की है, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि चालक के पास मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 149(2)(क)(ii) के अंतर्गत उत्तरदायित्व से सुरक्षित है और बीमाकर्ता के विरुद्ध पारित पंचाट को अपास्त किया जाना चाहिए।

6.1. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने विशेष रूप से यह अभिवाक् किया कि बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि चालक के पास केवल हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस था, जो 20 वर्षों के लिए वैध था, जबकि परिवहन लाइसेंस के लिए विशेष पृष्ठांकन की आवश्यकता होती है और यह केवल तीन वर्षों के लिए वैध होता है। इस प्रतिरक्षा को अकाट्य साक्ष्य के माध्यम से पुष्ट किया गया, जिसमें एनएडब्ल्यू-1 राजेश कुमार मिश्रा का परिसाक्ष्य, बीमा पॉलिसी (ईएक्स. एनए-1) और ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन (ईएक्स. एनए-2) शामिल थे, जिससे पुष्टि हुई कि चालक के पास केवल हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस था।

6.2. इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम में विशिष्ट शर्तें उपवर्णित की गई हैं, जिनमें न्यूनतम आयु और पहले से हल्के वाहन का लाइसेंस होना शामिल है। चूँकि चालक इन योग्यताओं को पूरा नहीं करता था, इसलिए अधिकरण के निष्कर्ष अनुचित और कानून की दृष्टि से असंभार्य हैं और इन्हें अपास्त किया जाना चाहिए।

6.3. उनका तर्क है कि बीमित ट्रैक्टर केवल कृषि उपयोग के लिए "किसान पैकेज पॉलिसी" के अंतर्गत शामिल किया गया था। सार्वजनिक सड़क पर व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए ट्रॉली के साथ इसका उपयोग बीमा अनुबंध का उल्लंघन था। यह अभिवचन किया गया और मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित था, फिर भी अधिकरण इस पर विचार करने में विफल रहा, जिससे आक्षेपित पंचाट को उलटना आवश्यक हो गया है।

6.4. उन्होंने यह भी दलील दी कि, अन्यथा भी, दुर्घटना 20 फुट चौड़ी सड़क के बीचों-बीच हुई थी, जैसा कि प्रदर्श 3 और 4 में दर्शाया गया है, जो मोटरसाइकिल चालक की संभावित योगदायी उपेक्षा को दर्शाता है। इसके अलावा, मृतक मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी पुष्टि शवपरीक्षा रिपोर्ट से होती है, जिसमें सिर में लगी चोटों को मृत्यु का कारण बताया गया है। यह उल्लंघन योगदायी उपेक्षा के मामले को पुष्ट करता है, अधिकरण जिस पर विचार करने में विफल रहा।

6.5. मोटर परिवहन अधिकारी (एमटीओ) की रिपोर्ट में उपदर्शित किया गया था कि दोनों वाहन तेज़ गति से चल रहे थे, फिर भी अधिकरण ने स्वयं प्रमाण के सिद्धांत को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप साझा दायित्व तय होता है।

6.6. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकरण ने त्रुटिवश मृतक की मासिक आय 5000/-रुपए निर्धारित की, जबकि 2013 में न्यूनतम मज़दूरी ₹3,822/- थी। चूँकि मृतक की आय सिद्ध नहीं हुई थी, इसलिए केवल न्यूनतम मज़दूरी पर ही विचार किया जाना चाहिए था।

7. तामील के बावजूद प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

8. विद्वान अधिवक्ता को सुनने और मामले की पत्रावली का परिशीलन करने के पश्चात्, अब मैं इसके गुणावगुण पर विचार करूंगा और इसके पश्चात् अंतर्विष्ट चर्चा और तर्क के आधार पर अपनी राय दूंगा।

9. सर्वप्रथम, आक्षेपित पंचाट के परिशीलन करने से प्रकट होता है कि भंवरलाल (एडब्ल्यू1) और मनीराम (एडब्ल्यू2) ने मामले के तथ्यों को दोहराया और दस्तावेज़ (प्रदर्श 1-10, जिनमें एफआईआर, आरोप पत्र, नक्शामौका, एमटीओ रिपोर्ट, शवपरीक्षा रिपोर्ट और पुखराज का आय प्रमाण पत्र शामिल हैं)

प्रस्तुत किए। अमरचंद (ए.डब्ल्यू.3), एक प्रत्यक्षदर्शी, ने परिसाक्ष्य दिया कि उतावलेपन से चलाया गया ट्रैक्टर गलत दिशा में मुड़ गया और मोटरसाइकिल से टकरा गया। प्रतिपरीक्षा के बावजूद, अमरचंद के बयान को खारिज करने के लिए कोई विसंगति नहीं थी। 07.04.2013 को सुबह 8:15 बजे दर्ज की गई एफआईआर (प्रदर्श 1) ने दुर्घटना की पुष्टि की। नक्शामौका (प्रदर्श-3) और हालातमौका (प्रदर्श-4) दर्शित करता है कि टक्कर मोटरसाइकिल की सही दिशा में हुई थी, जो ट्रैक्टर की गलती को दर्शाता है। एमटीओ रिपोर्ट (प्रदर्श 5) ने ट्रैक्टर की पहचान लाल मैसी 1035 के रूप में की। शवपरीक्षा रिपोर्ट में दुर्घटना में आई चोटों से मृत्यु के कारण की पुष्टि हुई। परमादेवी ने स्वामित्व स्वीकार किया (प्रदर्श-7) और सुखाराम का वैध एलएमवी लाइसेंस (प्रदर्श-8) एवं ट्रैक्टर का बीमा (प्रदर्श-10) साबित हुआ। इस प्रकार दावेदारों ने सिद्ध कर दिया कि सुखाराम के उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण यह घातक टक्कर हुई थी। विवादक संख्या 1 और 2 का निस्तारण दावेदारों के पक्ष में किया गया था।

9.1. मुकुंद देवांगन बनाम ओरएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड:(2017) 14 एससीसी 663 पर निर्भर रहते हुए, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली एक हल्का मोटर वाहन है, जिसके लिए परिवहन पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती, जिससे सुखाराम का एलएमवी लाइसेंस वैध हो जाता है। बीमाकर्ता गैर-कृषि उपयोग साबित करने में विफल रहा और उत्कथित नजीरें लागू नहीं थी क्योंकि उनमें अलग-अलग तथ्य अंतर्वलित थे (जैसे, ट्रॉलियों में यात्री)। आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया और इस प्रकार विवादक 3 बीमाकर्ता के विरुद्ध निस्तारित किया गया।

9.2. दावेदारों ने पुखराज के लिए 88,95,000 रुपये और विक्रम के लिए 85,35,000 रुपये की मांग की, यह अभिकथन करते हुए कि दोनों मैकेनिक के रूप में 15,000/-रुपये प्रति माह कमाते थे। हालाँकि, कोई प्रामाणिक साक्ष्य (जैसे, प्रदर्श-11 में विश्वसनीयता का अभाव) प्रस्तुत नहीं किया गया जो दावा की गई 15,000/- रुपये प्रति माह आय का समर्थन करता हो। इस प्रकार, न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 5,000/- रुपये प्रति माह की काल्पनिक आय अपनाई गई।

10. मैं इस मत का हूँ कि विद्वान अधिकरण/विचारण न्यायालय द्वारा पारित पंचाट तर्कसंगत और अकाट्य विधिक तथा तथ्यात्मक आधारों द्वारा समर्थित है। आइए देखें कैसे।

11. अपीलार्थी-बीमाकर्ता की दलील है कि कृषि उपयोग के लिए "किसान पैकेज पॉलिसी" के तहत बीमित ट्रैक्टर का, सार्वजनिक सड़क पर एक ट्रॉली के साथ व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो पॉलिसी के निबंधनों का उल्लंघन

था। हालाँकि, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि ट्रैक्टर का उपयोग गैर-कृषि या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया गया था। अधिकरण के निष्कर्ष, जो बीमाकर्ता की ओर से प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव द्वारा समर्थित थे, ने यह सिद्ध किया कि ट्रैक्टर के उपयोग ने किसी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं किया। इसने सही रूप से इस बात पर बल दिया कि इस तरह के भंग को साबित करने का भार बीमाकर्ता पर होता है, जिसका वह निर्वहन करने में विफल रहे।

11.1. चालक के लाइसेंस की वैधता के संदर्भ में, चालक सुखाराम अनुज्ञेय रूप से हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस धारित करता था। फिर भी, ट्रॉली सहित ट्रैक्टर को हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए अलग से परिवहन पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होती। अत्यधिक बल देकर तर्क दिया गया कि वाहन चला रहे लाइसेंस धारक का लाइसेंस एलएमवी श्रेणी का था और इसलिए वह ट्रैक्टर का अधिकृत चालक नहीं था, इस पर केवल इसलिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि मेसर्स बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में इसे खारिज किया जा सके।

11.2. अमरचंद (एडब्ल्यू-3) की विश्वसनीयता के संबंध में, ऐसा अभिकथन है कि उसके परिसाक्ष्य में विरोधाभास होने और मृतक से उसके सम्बंध होने के कारण वह एक प्रायोजित गवाह था, मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं लगता। घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई एफआईआर में अमरचंद (एडब्ल्यू-3) का नाम दर्ज था। इसलिए यह मानना कि वह एक विश्वसनीय गवाह नहीं था क्योंकि उसे दावेदारों ने खड़ा किया था, पूरी तरह से गलत है। एफआईआर दर्ज होने के समय ही दावेदारों ने उसका नाम उसमें लिखवाया था। मात्र उस उपधारणा के आधार पर जो विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनके बयान में कुछ विरोधाभास के आधार पर त्रुटिपूर्ण ढंग से निकाली जा रही है, यह एक अंतिम निष्कर्ष नहीं हो सकता कि वह एक खड़ा किया गया गवाह है, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दी जा रही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण अभिसाक्ष्य का सही ढंग से अवलोकन किया है और उक्त आक्षेप को अविश्वसनीय पाया है। यह सही अभिनिर्धारित किया गया है कि तुच्छ विरोधाभास उसके प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांत को नहीं नकारते हैं, विशेष रूप से एफआईआर, नक्शामौका तथा एमटीओ रिपोर्ट जैसे सम्पोषक साक्ष्य के विद्यमान होते हुए।

11.3. बीमाकर्ता ने मोटरसाइकिल चालक पुखराज पर अभिदायी उपेक्षा का दावा किया, कथन करते हुए कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। यह भी तर्क दिया गया कि दुर्घटनास्थल एक 20-फीट चौड़ी सड़के के मध्य है तथा एमटीओ रिपोर्ट दोनों वाहनों की तेज गति को इंगित करते हुए साझे दायित्व को उपदर्शित करती

है। इसके विपरीत, अधिकरण के निष्कर्ष, जिन्हें न्यायालय ने बरकरार रखा, जो साक्ष्यों (नक्शामौका, प्रदर्श-3, और हालातमौका, प्रदर्श-4) पर आधारित थे, जो दर्शित करते हैं कि ट्रैक्टर गलत दिशा में मुड़ गया, जिससे आमने-सामने की टक्कर हुई। एमटीओ रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी के परिसाक्ष्य ने ट्रैक्टर की उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने की पुष्टि की। विचारण न्यायालय को मोटरसाइकिल चालक द्वारा अभिदायी उपेक्षा का समर्थन करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। हेलमेट का न होना, जैसा ध्यान दिया गया, दुर्घटना का कारण था या नहीं और किसी भी दशा में ट्रैक्टर चालक का प्राथमिक दायित्व परिवर्तित नहीं हुआ। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि सिर की क्षति पूरी तरह से इसी चूक के कारण हुई थी। मुझे विद्वान अधिकरण द्वारा अपनाए गए उस दृष्टिकोण में कोई दोष नजर नहीं आता है

12. परिस्थितियों की समग्रता में, दोनों अपीलें गुणावगुण से रहित हैं।

13. मैं यहां यह भी जोड़ सकता हूं कि, अपीलार्थी-इंश्योरेंस कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने सुभाष चंद बनाम बस्सी व अन्य: 2014 आरएआर. 29 (राज.) तथा सुरेंद्र कुमार व अन्य बनाम नारायण लाल व अन्य: 2012 आरएआर 41 (राज.) का गलत संदर्भ दिया है। वास्तव में, उक्त नजीरों का परिशीलन, दर्शाता है कि परिस्थितियां इसके विपरीत हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों को पूरी तरह से गलत पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार यह अभिलेख पर आ जाता है कि जो ट्रैली उस ट्रैक्टर के संलग्न थी, उसका उपयोग गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु परिवहन के लिए किया जा रहा था, तो यह उस पॉलिसी को दूषित कर देती है। वर्तमान मामले में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि ट्रैली का उपयोग गैर-कृषि प्रयोजनों और/या किसी वाणिज्यिक परिवहन के लिए किया जा रहा था।

14. इसके अतिरिक्त, जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पंचाट की गणना में कतिपय लेखन की त्रुटि है, एक बार फिर, यदि यह वास्तव में लेखन की थी, जैसा की तर्क दिया जा रहा है, तो अपीलार्थी-इंश्योरेंस कम्पनी विधि के अनुसार अधिकरण के समक्ष समुचित कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र है।

15. किसी अन्य बिन्दु पर बहस नहीं की गई। इस आधार पर, न तो साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर और न ही तथ्यों या कानून पर किसी भी अनियमितता की अनुपस्थिति में अन्यथा, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।

16. विदा लेते हुए, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि काल्पनिक आय न्यूनतम मज़दूरी से ज़्यादा होनी चाहिए थी। न्यूनतम मज़दूरी एक अनम्य व अपरिवर्तनीय नियम का सूत्र नहीं हो सकता तथा यह अधिकरण के लिए आय का अवधारण करने का एक

संकेत मात्र है। बहरहाल, चूंकि दावेदार अपील में नहीं है तथा यह न्यायालय बीमा कम्पनी को उसके परिणामों के लिए दायी ठहराने से विरत रहेगा।

17. खारिज।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई, निस्तारित किये जाते हैं।

(अरुण मोंगा) ,जे

166-167-धनंजयएस/ आरमाथुर

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी